रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-809/2018/1099/22-2-2018-17(64)/2008

लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन अपनी सांविधानिक व सम्प्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, आगरा** के सिद्धदोष **बन्दी गंगाशरन (बन्दी संख्या-14040) पुत्र श्री परमा, जो-ग्राम क्रियावली, थाना-खुर्जा देहात, जनपद-बुलन्दशहर** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-345/1980** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-396, 120बी** के अधीन **दिनांक 31.07.1981** को **मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया है तथा बंदी द्वारा दिनांक 12.02.2018 तक 10 वर्ष 04 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 13 वर्ष 09 माह 26 दिन की काटी गयी सपरिहार, अत्यधिक आयु होने, पुन: अपराध करने में शसक्त नहीं होने, जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-809/2018/1099(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in